न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 23/2017

अपीलान्ट

1 जैसाराम पुत्र वीराजी जाति घांची निवासी जावाल

2 जोती बेवा चुनाजी जाति घांची निवासी जावाल तहसील सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 गोमाराम पुत्र दौलिया जाति घांची के का0मु0

1.1 चौथी पत्नी गोाराम

1.2 हताराम पुत्र गोमाराम

1.3 देवाराम पुत्र गोमाराम जातिगण घांची निवासीगण जावाल

1.4 पंकु पत्नी सवाराम पुत्री गोमाराम जाति घांची निवासी वराडा

1.5 मंजु पत्नी सताराम पुत्री गोमाराम जाति घांची निवासी पालडी एम0

2 हकीया पुत्र उमाजी जाति घांची निवासी जावाल

3 चैनाराम पुत्र दौलिया जाति घांची निवासी जावाल के का0मु0

3.1 भेराराम पुत्र चैनाजी

3.2 कालुराम पुत्र चैनाजी

3.3 सविता पुत्री चैनाजी जातिगण घांची निवासीगण जावाल

4 दरगा पुत्र दौलिया जाति घांची जावाल

4.1 हंजा पत्नी दरगाजी

4.2 सवाराम पुत्र दरगाजी

4.3 सताराम पुत्र दरगाजी

4.4 थानाराम पुत्र दरगाजी जातिगण घांची निवासीगण जावाल

5 सकीया पुत्र उमाजी

6 कुकी बेवा भूरीयाजी

7 तेजीया पुत्र भुरीया

8 कानीया पुत्र भुरीया

9 रामलाल पुत्र पोसाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

10 सवाराम पुत्र हीरका
11 पेकीया पुत्र लुम्बाजी
12 छोगाराम पुत्र केसीया
13 चुन्नीलाल पुत्र केसीया
14 छैलाराम पुत्र केसीया
15 भगवाना पुत्र केसीया
16 चन्दाराम पुत्र केसीया जातिगण घांची निवासीगण जावाल
17 दरगाराम पुत्र हटाजी के का0मु0
17.1 लेरी पत्नी दरगाराम
17.2 लसारामपुत्र दरजाजी
17.3 लीलाराम पुत्र दरगाजी
17.4 मंछाराम पुत्र दरगाजी जातिगण घांची निवासीगण जावाल
17.5 बसी पत्नी देवाराम पुत्री दरगाजी जाति घांची निवासी पाडीव
17.6 नेनू पत्नि भूराराम पुत्री दरगाजी जाति घांची निवासी वराडा
17.7 तीजा पत्नी हीराराम पुत्री दरगाजी जाति घांची निवासी कालन्द्री
18 महेन्द्र कुमार गोदीपुत्र चमनाजी जाति घांची निवासी जावाल
19 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.5.18

अपीलांटगण की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 103/2011 बअनवान भोमाराम व अन्य बनाम चेनाराम व अन्य में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अपीलांटगण व अन्य रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जानकारी के बिना राजस्व केम्प में कुछ खातेदार की सहमति के आधार पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की उसके पश्चात अपीलांटगण की जानकारी के बिना तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर बिना किसी सुनवाई के केम्प में फाईनल डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका दिनांक 05.01.2015 को दो पक्षकार फौत होने से आदेश 22(3) व 22(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ। आदेशिका दिनांक 01.12.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 22(3) पर किसी तरह का आदेश नहीं दिया तथा प्रार्थना पत्र 22(4) को आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य खातेदारों को सुनकर प्रारम्भिक डिक्री जारी कि उक्त डिक्री पर अपीलांटगण व शेष रेस्पोडेन्टगण के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका दिनांक 27.03.2017 के अनुसार आगामी पेशी दिनांक 30.05.2017 नियत थी परन्तु उक्त तिथि को पत्रावली नहीं मिलने से सीधे ही दिनांक 09.06.2017 केम्प में पेश कर संबंधित पक्षकारान के अंगूठे आदि लगाकर फाइनल डिक्री जारी कर दी । आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया तथा बिना सुने मृत व्यक्तियों के विरुद्ध डिक्री जारी कर दी जो ab-initio-void व प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध (against natural justice) है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट एक व दो को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की है जबकि उनका वादग्रस्त आराजी में कोई कब्जा नहीं था न ही कभी रहा हे। मौक पर मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन नहीं किया गया है। तहसीलदार के द्वारा मौके पर कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया न ही मौके पर विभाजन बाबत अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गई। जहां तक अपील विलम्ब से पेश का प्रश्न इस संबंध में यह है कि अपीलांटगण को अपने कब्जे की भूमि पर पुलिस द्वारा मौके पर आकर रोका गया तक फाईनल डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 17.11.2017 को हुई तब निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की देरी होने का कारण उचित एवं सदभाविक है इसमें किसी तरह की लापरवाही व बदनियति नहीं रही है। लिहाजा विलम्ब को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान करते हुए अपीलांटगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक गोमाराम के विधिक वारिसान पूर्व से ही रेकार्ड पर लिया जा चुका था तथा आदेशिका दिनांक 01.12.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 व 16 के विधिक वारिसान को भी रेकार्ड ले लिया गया है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विरुद्ध आदेश/डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आपसी सहमति के आधार डिक्री जारी की है। अपील केवल दो व्यक्ति ही लेकर आये है, अन्य किसी भी पक्षकार को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री से कोई शिकवा अथवा शिकायत (Grivence) नहीं है। प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में पटवारी हल्का ने मौके पर आकर मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद ही दिनांक 09.06.2017 को अन्तिम डिक्री पारित की है। अपील निर्णय पारित होने के पश्चात काफी विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का समुचित कारण अंकित नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकरी कब हुई, कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब का कारण बताया है, वह अस्पष्ट (Vague) होने से स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा अपीलांटगण की अपील समयावधि में नहीं होने से खारीज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां प्रकरण में विधि का प्रश्न अन्तर्निहित हो, वहां मियाद के Scope को गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण में विधि का प्रश्न निहित है, इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सद्भाविक मानते हुए माफ किया जाता है तथा अपील अन्द मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जानकारी के बिना राजस्व केम्प में अन्य कुछ खातेदारों की सहमति से एकतरफा कार्यवाही कर प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। तहसीलदार के द्वारा मौके पर कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया न ही मौके पर विभाजन बाबत अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी एवं न ही मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार विभाजन किया इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने आपसी सहमति के आधार डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद ही दिनांक 09.06.2017 को अन्तिम डिक्री किया है। पत्रावली के अवलोकन करने पर यह पाया कि सहायक कलेक्टर, सिरोही ने अपने पत्रांक/कोर्ट/2016/2453 दिनांक 05.09.2016 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2016 प्रेषित करते हुए आदेशित किया कि वे प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के भिजवावें, लेकिन तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वयं मौके पर जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नहीं किया, बल्कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये बंटवाडा प्रस्ताव को अंतिम रुप देते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार सिरोही द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर न तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है एवं न ही समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 103/2011 बअनवान भोमाराम व अन्य बनाम चेनाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.2011 के अनुक्रम में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही